[2023] 5 एस. सी. आर 1

सिराजुद्दीन

बनाम

ज़ीनाथ और अन्य

(2023 की सिविल अपील संख्या 1491)

27 फरवरी, 2023

[दिनेश माहेश्वरी और सुधांशु धूलिया, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908* – आदेश और निषेधात्मक निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया गया, संबंधित संपत्तियों के विभाजन की मांग करने वाली उनकी बहनों द्वारा दायर दो अन्य सिविल मुकदमों पर फैसला सुनाया गया – इन चार निर्णयों को प्रतिवादी नंबर *1* द्वारा चार अपीलों के माध्यम से उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी – तत्काल अपील निर्देशित की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ, जिसके तहत वादी–प्रतिवादी नंबर *1* द्वारा बिक्री विलेख को रद्द करने और निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए उसके मुकदमे को खारिज करने के खिलाफ दायर अपील को ट्रायल कोर्ट के निर्देशों के साथ निपटाया गया था। नए सिरे से सुनवाई के बाद मुकदमे का निर्णय नए सिरे से करें, अनिवार्य रूप से इस अवलोकन के साथ कि मुकदमे के उचित निर्धारण के लिए आवश्यक साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं – क्या उच्च न्यायालय द्वारा मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजना उचित था – अपील पर, माना गया: उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों पर ध्यान नहीं दिया है वर्तमान मामले से संबंधित है और यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कैसे अस्थिर या अनुचित थे – ऑर्डर एक्सएलआई सीपीसी के नियम *23* के संदर्भ में रिमांड का दायरा बेहद सीमित है और यह प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि विचाराधीन मुकदमा प्रारंभिक बिंदु पर निपटान नहीं किया गया था – वर्तमान मामले में रिमांड को ऑर्डर एक्सएलआई सीपीसी के नियम *23*–ए के संदर्भ में उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि आक्षेपित निर्णय में ऐसा कोई कारण उपलब्ध नहीं है कि क्यों और किस आधार पर डिक्री को उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था – न्यायालय ने यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए या किसी ठोस कारण के लिए कौन से विशिष्ट साक्ष्य आवश्यक माने गए थे – केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय संभावनाओं की प्रबलता पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को अपर्याप्त नहीं माना जा सकता था ताकि आदेश एक्सएलआई सीपीसी के नियम *24* के संदर्भ में निर्णय न सुनाया जा सके– इसके अलावा, केवल इसलिए कि एक विशेष सबूत जो पेश किया जाना चाहिए था लेकिन पेश नहीं किया गया, अपीलीय अदालत ऐसा नहीं कर सकती। मामले को रिमांड पर लेने का नरम तरीका अपनाएं – मुकदमे को नए सिरे से ट्रायल के लिए रिमांड पर लेना किसी भी दृष्टिकोण से वर्तमान मामले में उचित नहीं माना जा सकता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: **1.** इस अपील में निर्धारण की मांग करने वाला वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय को न्यायसंगत ठहराया गया है। नए सिरे से मुकदमे के लिए मामले को रिमांड पर लेना? **[पैरा 8.1] [13–डी]**

2. यह तुरंत देखा जा सकता है कि ऑर्डर एक्सएलआई सीपीसी के नियम **33** के संदर्भ में, अपीलीय न्यायालय को कोई भी डिक्री पारित करने और कोई भी आदेश देने का अधिकार है जो पारित किया जाना चाहिए या बनाया जाना चाहिए; और जिसे किसी मामले में अपेक्षित माना जा सकता है। जबकि उक्त नियम **33** अपील न्यायालय की सामान्य शक्तियों को निर्धारित करता है, रिमांड की विशिष्ट शक्तियां आदेश एक्सएलआई सीपीसी के नियम **23** और **23–**ए में निर्धारित हैं। इसलिए, मौजूदा मामले के प्रयोजन के लिए, उपरोक्त नियम **33** का संदर्भ अनुपयुक्त है। **[**पैरा**10][16–**एच; **17–**ए**]**

3. आक्षेपित निर्णय में टिप्पणियों से पता चलता है कि उच्च न्यायालय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ था। हालाँकि, मामले का तथ्य यह है कि रिकॉर्ड पर समान सामग्री के आधार पर, ट्रायल कोर्ट वास्तव में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वादी अपना मामला स्थापित करने में विफल रही थी और इसलिए, मुकदमा खारिज होने योग्य था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया है और दिए गए फैसले से यह पता लगाना मुश्किल है कि ट्रायल कोर्ट के उन सभी निष्कर्षों को बरकरार क्यों नहीं रखा गया या डिक्री की आवश्यकता क्यों थी उलट दिया जाएगा।**[**पैरा **11.1][17–**ई**–**एफ**]**

4. ऑर्डर एक्सएलआई सीपीसी के नियम **23** के संदर्भ में रिमांड का दायरा बेहद सीमित है और यह प्रावधान लागू नहीं है क्योंकि विचाराधीन मुकदमे का प्रारंभिक बिंदु पर निपटारा नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में रिमांड को केवल ऑर्डर एक्सएलआई सीपीसी के नियम **23–**ए के साथ सहसंबद्ध किया जा सकता है और इसकी प्रयोज्यता के लिए, आवश्यक आवश्यकताएं यह हैं कि "अपील में डिक्री को उलट दिया जाए और पुन: परीक्षण आवश्यक माना जाए"। जैसा यहाँ ऊपर देखा गया है, आक्षेपित निर्णय में कोई भी कारण उपलब्ध नहीं है कि क्यों और किस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा डिक्री को उलट दिया गया। जाहिर है, उलटफेर ठोस कारणों पर आधारित होना चाहिए और उस मामले के लिए, ट्रायल कोर्ट के साथ प्रचलित कारणों का विज्ञापन करना और उनसे निपटना अनिवार्य है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में रिमांड को ऑर्डर एक्सएलआई सीपीसी के नियम **23–**ए के संदर्भ में भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। **[**पैरा **11.2]** पी**17–**जी; **18–**ए**–**सी**]**

5. किसी भी पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही उच्च न्यायालय ने यह निर्दिष्ट किया है कि निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए या किसी ठोस कारण के लिए कौन से विशिष्ट साक्ष्य आवश्यक माने गए हैं। उच्च न्यायालय के फैसले से यह प्रतीत नहीं होता है कि वादी**/**प्रतिवादी नंबर **1** ने कभी यह अनुमान लगाया कि ट्रायल कोर्ट ने उसे कोई भी सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी, जिसे पेश करने की मांग की गई थी। यह भी ध्यान में नहीं रखा गया है कि क्या किसी भी पक्ष ने अतिरिक्त दस्तावेज़ या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई मामला बनाया है लागू सिद्धांतों का संदर्भ. इसलिए, उच्च न्यायालय की सामान्य टिप्पणियों को नियम **27(1)** के साथ भी सहसंबद्ध नहीं किया जा सकता है। **[**पैरा **12][18–**सी**–**ई**]**

6. ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपने निष्कर्ष लौटाए थे। ये निष्कर्ष टिकाऊ हैं या नहीं, यह पूरी तरह से अलग मामला है और उच्च न्यायालय इसकी जांच कर सकता है, लेकिन केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय संभावनाओं की प्रबलता पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य को अपर्याप्त नहीं माना जा सकता है। आदेश एक्सएलआई सीपीसी के नियम **24** के संदर्भ में निर्णय नहीं सुनाना। **[**पैरा **13] [18–**एफ**–**जी**]**

7. केवल इसलिए कि एक विशेष साक्ष्य जो पेश किया जाना चाहिए था लेकिन पेश नहीं किया गया**,** अपीलीय अदालत मामले को वापस भेजने का नरम तरीका नहीं अपना सकती। **[**पैरा**14][19–**ए**–**बी**]**

8. यह कहना पर्याप्त होगा कि वादी के पक्ष में मौजूद कुछ परिस्थितियों और प्रतिवादियों के पक्ष में मौजूद कुछ अन्य परिस्थितियों के बारे में कुछ अस्थायी टिप्पणियों के लिए और फिर**,** एक और टिप्पणी के साथ कि वादी एक महत्वपूर्ण गवाह था**,** उच्च न्यायालय यदि वादी को खुद की जांच करने या कोई अन्य सबूत पेश करने से रोका गया था और साथ ही यह बताए बिना कि किस आधार पर डिक्री को उलटा किया जा रहा था**,** तो किसी भी निष्कर्ष को दर्ज किए बिना मामले को नए सिरे से ट्रायल के लिए भेजना उचित नहीं था। **[**पैरा**15][19–**सी**–**डी**]**

नगर निगम, हैदराबाद बनाम सुंदर सिंह (2008) **8** एससीसी **485: [2008] 9** एससीआर **635 –** पर भरोसा किया गया।

संजय कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य **(2022) 7** एससीसी **247 –** अनुपयुक्त ठहराया गया

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

[2008] 9 एससीआर **635** पर भरोसा पैरा **6**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील 2023 की सं.1491

2014 के आरएफए संख्या 247 में एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 28.06.2019 से।

महाबीर सिंह, वरिष्ठ वकील, जुल्फिकार अली पी.एस., सजीब एस., सुश्री लक्ष्मी श्री पी., मैसर्स एसआरएम लॉ एसोसिएट्स, अपीलकर्ता के वकील।

जेम्स पी. थॉमस, आबिद अली बीरन पी., प्रतिवादियों के वकील।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.**

अपील मान्य की गई।

2. यह अपील सामान्य निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। केरल उच्च न्यायालय द्वारा एर्नाकुलम में 2014 के आर.एफ.ए. सं. 247 के संबंध में पारित किया गया, जिसमें वादी (प्रतिवादी सं. 1) द्वारा एक बिक्री विलेख को रद्द करने और निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए उसके मुकदमे को खारिज करने के खिलाफ दायर अपील का निपटारा किया गया था। अनिवार्य रूप से इन टिप्पणियों के साथ कि वाद के उचित निर्धारण के लिए आवश्यक साक्ष्य को अभिलेख पर नहीं लाया गया था, नए सिरे से परीक्षण के बाद मुकदमे पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए विचारण न्यायालय को निर्देश देना।

3.दिनांक 28.06.2019 के आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश में, उच्च न्यायालय ने चार अलग–अलग से उत्पन्न चार अपीलों का निर्णय लिया है सिविल मुकदमे लेकिन समान प्रतिस्पर्धी पार्टियों से संबंधित और अंतर–संबंधित मुद्दे शामिल हैं। हालाँकि, वर्तमान अपील उच्च न्यायालय में केवल उन अपीलों में से एक से संबंधित है,

जो 2014 का आरएफए नंबर 247 है, जो अधीनस्थ न्यायाधीश, करुणागापल्ली (मूल रूप से 2006 का ओएस नंबर 390) के न्यायालय में 2012 के ओएस नंबर 293 से उत्पन्न हुई थी। अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत, कोल्लम) लेकिन, तथ्यों की उचित समझ के लिए, उक्त चार सिविल मुकदमों की विषय-वस्तु और उनमें पाए गए निष्कर्षों का एक संक्षिप्त संदर्भ उपयुक्त होगा। इस प्रकार प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं को संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है:

3.1. प्रतिवादी नंबर 1 ने विषय सिविल मुकदमा (ओएस नंबर 293) दायर किया 2012 वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 1 और अन्य के रूप में उपपंजीयक, करुणागापल्ली के कार्यालय में पंजीकृत 2006 की संख्या 285 दिनांक 15.03.2006 के विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के रूप में प्रतिवादी, उसकी बहनें।

3.2. सूट अनुसूची संपत्ति, जिसमें 54 एरेस और 90 वर्ग शामिल हैं। भूमि के मीटर और उस पर सिनेमा थिएटर की इमारत, जिसमें शामिल हैं आदिनाडु गांव, कुलशेखरपुरम का ब्लॉक नंबर 5, पुनर्सर्वेक्षण नंबर 551/3 पंचायत, करुनागपल्ली तालुक, कोल्लम जिला, मूल रूप से स्वामित्व में थी उत्तरदाताओं के पिता द्वारा; और उनके निधन के बाद, उत्तरदाताओं और उनकी मां ने 2003 की संख्या 291 के साथ एक विभाजन विलेख निष्पादित किया, जिसके तहत सूट अनुसूची संपत्ति को उत्तरदाताओं के संयुक्त कब्जे और उपभोग में रखा गया था। उक्त सिनेमा थिएटर को चलाने के लिए उत्तरदाताओं के बीच एक साझेदारी विलेख भी निष्पादित किया गया था और प्रतिवादी नंबर 1 के पति भागीदारों की ओर से 'थरंगम थिएटर' नामक सिनेमा थिएटर का प्रबंधन कर रहे थे।

3.3. वादी-प्रतिवादी संख्या 1 के मामले के अनुसार, 15.03.2006 को, प्रतिवादी संख्या 3 और 5 के संबंधित पतियों ने उसे पहुंचने के लिए कहा एक फिल्म वितरक के पक्ष में सुरक्षा बांड के निष्पादन के लिए उप रजिस्ट्रार, करुणागापल्ली का कार्यालय; और यद्यपि उसने इस तरह के दस्तावेज़ के निष्पादन को स्थगित करने का अनुरोध किया था क्योंकि उसके पति स्टेशन से बाहर थे, प्रतिवादी संख्या 3 और 5 के पतियों ने जोर देकर कहा कि उक्त सुरक्षा को उस विशेष दिन पर ही निष्पादित किया जाना था, अन्यथा सिनेमा थिएटर का कामकाज बंद हो गया। प्रभावित होगा. चूंकि प्रतिवादी नंबर 1 को उन पर अत्यधिक विश्वास था, वह उप रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंची, और उनकी आवश्यकता के अनुसार दस्तावेज़ पर अपने हस्ताक्षर किए। 15.09.2006 को, जब प्रतिवादी क्रमांक 1 ने प्रतिवादी क्रमांक 5 से सिनेमा थिएटर के खातों के बारे में पूछताछ की, तो बताया गया कि उक्त संपत्ति में उसका हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका है। यह सुनकर, प्रतिवादी संख्या 1 15.03.2006 को निष्पादित दस्तावेज़ की एक प्रति प्राप्त करने के लिए उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में पहुंची और वहां जाने पर, उसे एहसास हुआ कि उससे एक विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। और किसी सुरक्षा दस्तावेज़ पर नहीं जैसा कि उसे पहले बताया गया था। इसके अलावा, उसे कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ और इसलिए, उक्त विक्रय विलेख शून्य और गैर-स्थायी था।

3.4. उपरोक्त मुकदमे का प्रतिवादियों द्वारा विधिवत विरोध किया गया। मुद्दों को तैयार करने के बाद, पार्टियों ने दस्तावेजी और मौखिक प्रस्तुत किए साक्ष्य जहां, वादी-प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से, उसके पति की जांच पीडब्लू-1 के रूप में की गई, जबकि उसके पति के एक रिश्तेदार की जांच पीडब्लू-2 के रूप में की गई; और दूसरी ओर, प्रतिवादियों के साक्ष्य में, वर्तमान अपीलकर्ता की जांच DW-1 के रूप में की गई, जबकि प्रतिवादी नंबर 4 के पति की जांच DW-2 के रूप में की गई।

3.5. 2012 के ओएस नंबर 293 वाले उपरोक्त सिविल सूट के अलावा, वादी–प्रतिवादी नंबर 1 ने निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए एक और सिविल मुकदमा दायर किया, जिसे 2012 के ओएस नंबर 238 के रूप में पंजीकृत किया गया था। ये दोनों सिविल सूट, 2012 का ओएस नंबर 293 और 2012 का ओएस नंबर 238 तय किया गया था ट्रायल कोर्ट ने अपने सामान्य निर्णय दिनांक 28.01.2014 में एक साथ। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने वादी–प्रतिवादी नंबर 1 के मामले को अन्य बातों के साथ–साथ इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि रिकॉर्ड में दर्ज परिस्थितियों से इस मामले की संभावना नहीं बनती कि उसे धोखा देकर, उसकी बहनों के पतियों ने बिक्री दस्तावेज़ (उदा. ए–1) निष्पादित कर लिया, जबकि उसे विश्वास दिलाया कि यह नई फिल्में प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षा दस्तावेज़ था। ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि वादी–प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा उप–रजिस्ट्रार की जांच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था, जिसने बिक्री विलेख पंजीकृत किया था, जहां उसने कथित तौर पर इसे एक सुरक्षा दस्तावेज मानने के लिए अपने हस्ताक्षर किए थे; और वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 103 के संदर्भ में सबूत के बोझ का निर्वहन करने में विफल रही। अधिक विस्तार के बिना, हम ट्रायल कोर्ट के प्रासंगिक निष्कर्षों पर निम्नानुसार ध्यान दे सकते हैं: –

"22 तो उपरोक्त परिस्थिति कभी भी मामले की संभावना नहीं बनाती वादी की ओर से कहा गया कि उसे धोखा देकर डी3 और डी5 के पतियों ने उसे यह विश्वास दिलाकर कि यह नई फिल्में प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षा दस्तावेज था, एक्सटेंशन ए1 को निष्पादित करने में सफलता प्राप्त की जैसा कि दावा किया गया है वितरक...

*** ***
***

24. यद्यपि वादी का मामला यह है कि प्रदर्शनी ए–1 का परिणाम है जिन व्यक्तियों पर उसे विश्वास था, उनके द्वारा उस पर धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती आदि के कारण, वादी की ओर से उस रजिस्ट्रार की जांच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसने एक्ज़िबिट ए–1 बिक्री विलेख पंजीकृत किया था, जिसमें वादी ने अपना हस्ताक्षर किया था। नई फ़िल्में प्राप्त करने के लिए सुरक्षा दस्तावेज़ D3 और D5 के बराबर बनाया गया है, हालाँकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 के अनुसार सबूत का भार उस पर है। इसलिए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मेरी राय में एक्ज़िबिट ए1 बिक्री विलेख को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे वादी द्वारा स्वेच्छा से डी1 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। इसलिए मुझे ये मुद्दे वादी के ख़िलाफ़ लगते हैं।"

3.7. दो अन्य सिविल मुकदमे थे, 2007 का ओएस नंबर 181 और 2006 का ओएस नंबर 497, जो वर्तमान अपील के प्रतिवादी नंबर 2 से 5 (प्रतिवादी नंबर 1 की बहनें) द्वारा विभाजन की मांग करते हुए दायर किए गए थे। क्रमशः एक ओर थिएटर और भूमि तथा दूसरी ओर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। प्रतिवादी नंबर 1 की चार बहनों द्वारा दायर विभाजन के लिए ये सिविल मुकदमे, ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए थे।

3.8. यहां ऊपर जो देखा गया है, उसका शुद्ध परिणाम यह हुआ कि जहां वादी–प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बिक्री विलेख को रद्द करने और निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए दायर किए गए दो सिविल मुकदमे खारिज कर दिए गए, वहीं उसकी बहनों द्वारा विभाजन की मांग को लेकर दायर किए गए अन्य दो सिविल मुकदमे खारिज कर दिए गए। संबंधित संपत्तियों की डिक्री की गई। इन चार निर्णयों को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा चार अपीलों के माध्यम से उच्च

न्यायालय में चुनौती दी गई, जिनमें 2012 का आरएफए नंबर 96 (2006 का ओएस नंबर 497 से संबंधित), आरएफए नंबर 287 शामिल हैं। 2010 (2007 के ओएस नंबर 181 से संबंधित), 2014 के आरएफए नंबर 238 (2012 के ओएस नंबर 238 से संबंधित) और 2014 के आरएफए नंबर 247 (2012 के ओएस नंबर 293 से संबंधित)। इन सभी चार अपीलों पर उच्च न्यायालय ने अपने सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 28.06.2019 में एक साथ निर्णय लिया।

4. जैसा कि देखा गया है, वर्तमान अपील केवल 2014 के आरएफए नंबर 247 (2012 के ओएस नंबर 293 से संबंधित) से संबंधित है। इसलिए, चार सिविल मुकदमों के सभी तथ्यात्मक पहलुओं और उच्च न्यायालय के संबंधित निष्कर्षों का विस्तार वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिकता का नहीं हो सकता है, लेकिन इस तथ्य के लिए कि वे संबंधित मामलों से संबंधित हैं और अपीलों का निर्णय सामान्य निर्णय द्वारा किया गया है। उच्च न्यायालय के विचारों को समझने के लिए, आक्षेपित निर्णय के निष्कर्षों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करना लाभदायक होगा।

4.1 उच्च न्यायालय ने कहा कि यह सामान्य मुद्दा है अपीलों में निर्धारण विषय संपत्ति के चरित्र के संबंध में था, अर्थात्, पांच बहनों, यानी, प्रतिवादी नंबर 1 और प्रतिवादी नंबर 2 से 4 के साझेदारी व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद भूमि के साथ थिएटर और भूमि के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न की ओर ध्यान दिलाया कि क्या विभाजन के तहत उनके द्वारा प्राप्त संपत्तियाँ साझेदारी के गठन के बाद साझेदारी परिसंपत्तियों के चरित्र का हिस्सा बनेंगी; और उन सिद्धांतों पर ध्यान दिया कि कैसे किसी संपत्ति को स्पष्ट रूप से या आचरण द्वारा साझेदारी संपत्ति के रूप में लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने पाया कि केवल इसलिए कि साझेदारों की अलग-अलग संपत्तियों का उपयोग साझेदारी के व्यवसाय के लिए किया गया था, यह अनुमान नहीं लगाया जाएगा कि संपत्तियों को साझेदारी संपत्ति के रूप में लाया गया था। साझेदारी विलेख के प्रासंगिक खंडों के साथ-साथ अन्य दो बिक्री विलेख दिनांक 10.11.2004 और 17.01.2004 से निपटने के बाद, जो पांच बहनों द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किए गए थे, उच्च न्यायालय ने अंततः माना कि विभाजन विलेख के तहत इन पांच बहनों द्वारा प्राप्त संपत्तियां जारी रहीं। साझेदारी विलेख दिनांक 28.01.2003 के निष्पादन के बाद भी सह-स्वामित्व संपत्तियों के रूप में रखा जाएगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने संपत्तियों को सह-स्वामित्व वाली संपत्ति माना और परिणामस्वरूप, फैसले को बरकरार रखा और संपत्तियों के विभाजन के लिए 2006 के ओएस नंबर 497 और 2007 के ओएस नंबर 181 के संबंध में ट्रायल कोर्ट की डिक्री। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की और कहा: -

"13. संपत्तियों को सह-स्वामित्व वाली संपत्ति मानने के बाद, संपत्तियों के विभाजन के लिए सूट ओएस 497/06 और ओएस 181/07 डिक्री के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले और डिक्री को केवल बरकरार रखा जाना चाहिए और मैं ऐसा करता हूं।"

4.2 प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर दो सिविल मुकदमों का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय ने, सबसे पहले, 2012 के ओएस नंबर 238 का उल्लेख किया, जिसमें वादी-प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधात्मक निषेधाज्ञा का दावा किया था। यह देखा गया कि राहत का दावा उसके द्वारा फर्म के एक भागीदार की हैसियत से अन्य भागीदारों के विरुद्ध किया गया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि साझेदारी एक अपंजीकृत थी और इसलिए, मुकदमे को भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 69(1) के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे को खारिज कर दिया (ओएस नंबर 238)। 2012) की पुष्टि की गई।

5. उपरोक्त तीन दीवानी मुकदमों पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने 2012 के ओएस नंबर 293 में शामिल प्रश्नों का उल्लेख किया और जिन आधारों पर बिक्री रद्द करने के लिए राहत का दावा किया गया था कार्य। उच्च न्यायालय ने चुनौती के आधारों का सारांश इस प्रकार दियाः

"17. ओएस 293/12 में जिससे आरएफए 247/14 उत्पन्न होता है, राहतदावा किया गया प्रदर्शनी ए–1 बिक्री विलेख को अलग रखने के लिए है। जिन आधारों पर बिक्री विलेख को अलग रखने की मांग की गई है, वे है :–

(ए) संपत्ति एक साझेदारी संपत्ति है, साझेदारी संपत्ति की एक विशिष्ट वस्तु में एक भागीदार का हित अहस्तांतरणीय है **(**अड्डंकीनारायणप्पा बनाम भास्कर कृष्णप्पा **(**मृत**)** और अन्य एआईआर **1966** एससी **1300)**

(ख) साझेदारी विलेख की शर्तें स्पष्ट रूप से एक भागीदार को अन्य भागीदारों की सहमति के बिना साझेदारी में अपना हिस्सा अलग करने से रोकती हैं।

(ग) "नॉन एस्ट फैक्टम" – वादी को यह विश्वास दिलाया गया कि वह एक फिल्म के वितरण के लिए सुरक्षा विलेख निष्पादित कर रही थी; उसने कभी भी विक्रय विलेख निष्पादित करने का इरादा नहीं किया।

5.1. उपरोक्त पहले दो आधारों को उच्च द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था न्यायालय ने इस तथ्य के संदर्भ में कि विचाराधीन संपत्ति सह–स्वामित्व वाली संपत्ति थी न कि साझेदारी संपत्ति; और विचाराधीन विक्रय विलेख (उदा. ए–1) के तहत जो बताया जाना था, वह संपत्ति के सह–मालिक के रूप में वादी का 1/5 वां अधिकार था और यह किसी भागीदार के अधिकार के असाइनमेंट में नहीं था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने इन दोनों आधारों को खारिज कर दिया। नॉन एस्ट फैक्टम से संबंधित तीसरे आधार पर आगे बढ़ते हुए, उच्च न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार, कुछ परिस्थितियाँ वादी के पक्ष में झुक रही थीं और कुछ अन्य परिस्थितियाँ बिक्री की वास्तविकता के पक्ष में झुक रही थीं। साक्ष्यों के प्रतिस्पर्धी सेटों के संबंध में उच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं: –

"21. उपलब्ध साक्ष्य पर, कुछ परिस्थितियाँ वादी के पक्ष में झुकती हैं। प्रतिवादियों के अनुसार, वादी का पति फर्म के प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था। जिस दिन प्रदर्श ए–1 बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था, वह निश्चित रूप से बाहर था स्टेशन से। एक्स्ट के निष्पादन के लिए अत्यधिक तात्कालिकता। उस दिन अल को उनकी अनुपस्थिति में बाहर नहीं लाया गया था। प्रदर्श ए–1 बिक्री विलेख को बिक्री के लिए एक समझौते के अनुसार निष्पादित किया गया है। दिनांकित 23.11.05 बिक्री के लिए समझौता होने का दावा किया जाता है। पहले प्रतिवादी–सिराजुद्दीन के पक्ष में सभी पाँच बहनों द्वारा एक साथ फांसी दी गई। बिक्री के लिए समझौते का निष्पादन वादी द्वारा विवादित है। हालाँकि बिक्री के लिए कथित समझौता सभी बहनों के हितों से संबंधित है। प्रदर्श ए–1 बिक्री केवल वादी के अधिकारों से संबंधित है। सामान्य परिस्थितियों में यह असंभव है प्रतिवादियों ने एक मामला स्थापित किया कि प्रस्तावित खरीदार सिराजुद्दीन ने बिक्री को पूरा करने के लिए समय मांगा और यह कि वादी का पति सहमत नहीं था और यह ऐसी परिस्थितियों में था कि प्रदर्श ए–1, वादी के संबंध में अकेले हिस्सा, निष्पादित किया गया था। इस बात का संकेत देने के लिए कुछ भी नहीं है कि वादी या उसके पति को पैसे की तत्काल आवश्यकता थी। किसी संपत्ति के संबंध में बिक्री के लिए समझौता करने के बाद, सामान्य परिस्थितियों में एक विवेकपूर्ण खरीदार संपत्ति से केवल एक चौथाई शेयर नहीं खरीदेगा, खासकर जब विषय वस्तु एक थिएटर हो। इसके अलावा, हालांकि प्रदर्श ए–1 बिक्री विलेख में बिक्री पर 6 लाख रुपये के रूप में विचार किया गया है, प्रतिवादियों के अनुसार, प्रदर्श ए–1 के लिए भुगतान किया गया कुल प्रतिफल 50 लाख रुपये था।

वहाँ विचार के पारित होने को साबित करने के लिए बिल्कुल कोई सबूत नहीं है। वादी के अनुसार, कोई विचार पारित नहीं किया गया है क्योंकि कोई बिक्री विलेख विचाराधीन नहीं था। पाथू बनाम कथीसा उम्मा **[1990 (2)** के.एल.टी. **SN.51],** में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि दस्तावेज़ एक है एक पंजीकृत, इसके उचित निष्पादन का अनुमान लगाया जाना है। हालाँकि, जैसा कि पोन्नन बनाम कुट्टिपेन्नु **[1987 (2)** के.एल.टी. **455],** में आयोजित किया गया है। जब निष्पादन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पंजीकरण निष्पादन का प्रमाण नहीं होता है।

22. उपरोक्त परिस्थितियों के विपरीत, विभिन्न परिस्थितियाँ हैं, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा इंगित किया गया है, जो बिक्री की वास्तविकता का समर्थन करती हैं। प्रदर्श ए–1 बिक्री विलेख के अलावा, फर्नीचर और अन्य के संबंध में प्रदर्श. बी–1 बिक्री नोट निष्पादित किया गया था। थिएटर में उपकरण यह प्रदर्श ए–1 के निष्पादन को संभव बनाता है।वादी के अनुसार, प्रदर्श ए–1 का निष्पादन और पंजीकरण उप–पंजीयक के कार्यालय में नहीं हुआ था; जब वह इमारत के भूतल पर थी तो उसे हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। हालाँकि, उप–पंजीयक या दस्तावेज़ लेखक की जाँच नहीं की गई है। दस्तावेज़ लेखक वही व्यक्ति होता है जिसने विभाजन के तहत बहनों की अन्य दो वस्तुओं (आइटम 1 और 4) के संबंध में बिक्री विलेख निष्पादित किया था। यद्यपि वादपत्र के पैरा 3 में, यह आरोप लगाया गया है कि सिराजुद्दीन का भाई वादी का पति वादी के साथ एस. आर. ओ. के पास गया, उसने जाँच नहीं की गई। वादी जिसे कहा गया हैधोखाधड़ी करने वाला गवाह के बक्से में नहीं आया है। हालांकि इसके तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 120, पति एक हो सकता है पत्नी की ओर से गवाही देने के लिए सक्षम गवाह, जैसा कि लगाए गए आरोपों की प्रकृति में, वादी एक महत्वपूर्ण गवाह था और उसकी गैर–परीक्षा बड़ी बात है।

5.2.उपरोक्त टिप्पणियों के बाद, उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया इन टिप्पणियों को उच्च न्यायालय ने उचित माना किपक्षकारों को और साक्ष्य और मामले को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए नए सिरे से विचार करें। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों और निर्देशों के साथ इस मामले पर निष्कर्ष निकालाः –

"23. उपरोक्त से, मैं नोटिस करता हूं कि मुकदमे के उचित निर्धारण के लिए आवश्यक सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं। अभिलेख पर साक्ष्य एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त है। प्रदर्श ए–1 बिक्री विलेख के पक्ष या विपक्ष में भौतिक गवाह राय है कि यह केवल तभी उचित होगा जब पक्ष हैं और सबूत और मामले को पेश करने का अवसर दिया गया नए सिरे से विचार करें। ओएस 293/12 में डिक्री और फैसले को दरकिनार कर दिया जाना है और मुकदमे को ट्रायल कोर्ट में वापस भेज दिया जाना है।

नए सिरे से निपटान।परिणामस्वरूप, आर. एफ.ए.संख्या 96/12, 827/10, 238/14 खारिज कर दिए जाते हैं, लेकिन बिना किसी लागत के। आर.एफ.ए. 247/14 की अनुमति है। फैसला और फरमान ओएस में 293/13 को अलग कर दिया जाता है और मुकदमा वापस परीक्षण के लिए भेज दिया जाता है सभी को अवसर प्रदान करने के बाद नए सिरे से निपटान के लिए अदालत पक्षकारों को और सबूत पेश करने के लिए। दलों को पेश होना है 24.07.2019 पर ट्रायल कोर्ट।

6. उपरोक्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.06.2019 की आलोचना करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि वे चाहते हैं पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना वादी प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से अपने मामले को साबित करने में विफलता थी, लेकिन उसकी ओर से यह विफलता मामले को ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही के दूसरे दौर में डालने का आधार नहीं हो सकती है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय को पक्षों से नए

साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए मुकदमे को नए सिरे से सुनवाई के लिए नहीं भेजना चाहिए था क्योंकि न तो कोई आधार प्रस्तुत किया गया था और न ही उस आशय से कोई राहत मांगी गई थी। विद्वान वकील विस्तार से बताएंगे कि यह वादी–प्रतिवादी नंबर 1 का मामला नहीं था कि ट्रायल कोर्ट उसके द्वारा दिए गए किसी भी सबूत पर विचार करने में विफल रहा या वह किसी भी वैध कारण के लिए कोई महत्वपूर्ण सबूत पेश नहीं कर सका। इसके विपरीत, उसने न तो स्वयं जांच की और न ही उप रजिस्ट्रार से जांच की, जिसने विक्रय पत्र पंजीकृत किया था; और बल्कि, वादी का पति, जो बिक्री के लिए पहले के समझौते का प्रमाणित गवाह था, उसकी ओर से पीडब्लू–1 के रूप में साक्ष्य में जांच की गई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत (जी) के संदर्भ में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि वादी–प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ खुद को गवाह–बॉक्स में पेश नहीं करने के लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था, खासकर जब धोखाधड़ी के आरोपों को उसके दावे का आधार बनाने की मांग की गई थी। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के परंतुक (1) के किसी भी तत्व को स्थापित नहीं किया गया है, ट्रायल कोर्ट ने सबूतों की सराहना के बाद मामले पर उचित दृष्टिकोण अपनाया, जबकि पाया कि परिस्थितियां संभावित थीं प्रतिवादी–अपीलकर्ता का मामला. इसलिए, चूंकि मुकदमा सही तरीके से खारिज कर दिया गया था, इसलिए मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजने का कोई कारण नहीं था। विद्वान वकील ने नगर निगम**,** हैदराबाद बनाम सुंदर सिंह के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है**: (2008) 8** एससीसी **485**

7. प्रति विपरीत, पृष्ठभूमि पहलुओं के संदर्भ में, वादी–प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि विचाराधीन बिक्री विलेख एक शून्य दस्तावेज है क्योंकि उस पर कोई विचार नहीं किया गया था और इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, जब अपीलीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुकदमे के उचित निर्धारण के लिए आवश्यक साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हैं, तो उसके पास मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजने के लिए स्वत: संज्ञान लेने की व्यापक और पर्याप्त शक्तियां थीं; और वर्तमान मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मार्ग को अपनाने में उच्च न्यायालय को दोष नहीं दिया जा सकता है। विद्वान वकील ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XLI के नियम 23, 23–ए, 24, 27 (1) (बी) और 33 में निहित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उच्च न्यायालय ने मामले को उचित रूप से वापस भेज दिया है। इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि बिक्री विलेख के पक्ष या विपक्ष में उचित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य अपर्याप्त थे। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 120 के अनुसार, वादी–प्रतिवादी नंबर 1 का पति एक सक्षम गवाह था क्योंकि वह थिएटर का प्रबंधक था और उसे थिएटर के सभी मामलों के बारे में जानकारी थी और इसलिए, यह पूरी तरह से महत्वहीन था कि वादी–प्रतिवादी नंबर 1 ने गवाह–पेटी में प्रवेश नहीं किया। विद्वान वकील ने वादी के रुख को दोहराया है कि उससे विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था जैसे कि यह एक सुरक्षा दस्तावेज था और इसलिए, विक्रय पत्र, प्रतिवादियों द्वारा गलत बयानी के साथ–साथ विचाराधीन होने के कारण, रद्द किए जाने योग्य है। . यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 23.11.2005 का कथित बिक्री समझौता भी एक विवादित दस्तावेज है और उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने संजय कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य**: (2022) 7** एससीसी **247** के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है।

8. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर उत्सुकतापूर्वक विचार किया है लागू कानून के संदर्भ में रिकॉर्ड की जांच की है।

8.1. हालाँकि पार्टियों के लिए विद्वान वकील ने कुछ बनाया है मामले के गुण-दोष पर आधारित प्रस्तुतियाँ, लेकिन हम चले जायेंगे मामले की योग्यता से संबंधित वे प्रस्तुतियाँ केवल इसलिए इस अपील में निर्धारण की मांग करने वाला वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए भेजना उचित है?

9. जहां तक वर्तमान में दृढ़ संकल्प की मांग करने वाले प्रश्न का संबंध है अपील और प्रस्तुत प्रस्तुतियों के संदर्भ में, हम सबसे पहले, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों और उद्धृत निर्णयों में इस न्यायालय की व्याख्याओं पर ध्यान दे सकते हैं।

9.1. ऑर्डर एक्सएलआई सीपीसी के नियम 23, 23-ए, 24, 27 और 33 में निहित प्रावधान इस प्रकार हैं: -

"23. अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले का प्रत्यर्पण- जहां वह न्यायालय, जिसकी डिक्री से अपील की जाती है, प्रारंभिक बिंदु पर वाद का निपटारा कर देता है और डिक्री को अपील में उलट दिया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो आदेश द्वारा मामले को रिमांड कर सकता है, और आगे निर्देश दे सकता है कि इस तरह से रिमांड किए गए मामले में कौन से मुद्दे या मुद्दों पर सुनवाई की जाएगी, और अपने निर्णय और आदेश की एक प्रति उस न्यायालय को भेजेगा, जिसकी डिक्री से अपील की जाती है। दीवानी मुकदमों के रजिस्टर में मुकदमे को उसकी मूल संख्या के तहत फिर से स्वीकार करने और मुकदमे का निर्धारण करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कौन से निर्देश; और मूल विचारण के दौरान अभिलिखित साक्ष्य (यदि कोई हो), सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन, रिमांड के बाद विचारण के दौरान साक्ष्य होगा।

23-ए. अन्य मामलों में रिमांड- जहां उस न्यायालय ने, जिसकी डिक्री से अपील की जाती है, प्रारंभिक बिंदु के अलावा मामले का निपटारा किया है और डिक्री को अपील में उलट दिया जाता है और पुनः परीक्षण आवश्यक माना जाता है, तो अपीलीय न्यायालय के पास वही शक्तियां होंगी जो नियम 23 के तहत उसके पास हैं।

24.जहां अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त है**,** अपीलीय न्यायालयअंत में मामले का निर्धारण हो सकता है**-** जहां अभिलेख पर साक्ष्य अपीलीय न्यायालय को निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त है, अपीलीय न्यायालय, यदि आवश्यक हो तो मुद्दों का पुनर्निर्धारण करने के बाद, अंत में वाद का निर्धारण कर सकता है, इसके बावजूद कि जिस न्यायालय की डिक्री से अपील को प्राथमिकता दी जाती है, उसके फैसले में पूरी तरह से उस आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर आगे बढ़े जिस पर अपीलीय न्यायालय आगे बढ़ता है।

***** ***** *****

27. अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना**-** (1) अपील करने वाले पक्षकार पेश करने के हकदार नहीं होंगे।अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी। लेकिन अगर

(ए) जिस न्यायालय की डिक्री की अपील की गई है, उसने उन साक्ष्यों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए था, या

(एए) अतिरिक्त सबूत पेश करने की मांग करने वाला पक्ष यह स्थापित करता है कि उचित परिश्रम के अभ्यास के बावजूद, ऐसे साक्ष्य उसके ज्ञान में नहीं थे या उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे जब डिक्री के खिलाफ अपील की गई थी पारित किया गया था, या

(बी) अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाने में सक्षम बनाने के लिए, या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए किसी दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने या किसी गवाह की जांच करने की आवश्यकता होती है,

अपीलीय न्यायालय ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज़ की अनुमति दे सकता है पेश किया गया, या गवाह जिसकी जांच की जानी है।

(2) जहां भी अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है, न्यायालय इसे स्वीकार करने का कारण दर्ज करेगा।

***** ***** *****

33. अपील न्यायालय की शक्ति– अपीलीय न्यायालय के पास होगा कोई भी डिक्री पारित करने और कोई भी आदेश देने की शक्ति जोपारित किया गया है या किया गया है और पारित करने के लिए या इस तरह आगे बनाने के लिए या अन्य डिक्री या आदेश की आवश्यकता हो सकती है, और यह शक्ति न्यायालय द्वारा इस बात के बावजूद प्रयोग किया जा सकता है कि अपील केवल डिक्री के भाग के रूप में और सभी के पक्ष में प्रयोग किया जा सकता है उत्तरदाताओं या पक्षों के, हालांकि ऐसे उत्तरदाताओं या कोई भी या पक्षकारों ने कोई अपील या आपत्ति दायर नहीं की होगी और, जहाँ क्रॉस–सूट में आदेश दिए गए हैं या जहाँ दो या एक मुकदमे में अधिक फरमान पारित किए जाते हैं, सभी के संबंध में प्रयोग किया जाता है या कोई भी फरमान,

हालांकि एक अपील दायर नहीं की गई होगी इस तरह के आदेशों के खिलाफःबशर्ते कि अपीलीय न्यायालय इसके तहत कोई आदेश नहीं देगा धारा 35 ए, किसी भी आपत्ति के अनुसरण में जिस पर न्यायालय ऐसा आदेश देने के लिए।

9.2 आदेश के नियम 23 और 23–ए के दायरे की व्याख्या करते हुए सी.पी.सी., नगर निगम, हैदराबाद (ऊपर) के मामले में, कोर्टस ने कहाः –

"32. विविध शक्तियों के बीच एक अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए अपीलीय अदालत को रिमांड का आदेश पारित करना होगा। आदेश 41 नियम 23 के संदर्भ में रिमांड का दायरा बेहद सीमित है। मुक़दमे का निर्णय प्रारंभिक मुद्दे पर नहीं किया गया था। इसलिए आदेश 41 नियम 23 उपलब्ध नहीं था। किस आधार पर द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई यह स्पष्ट नहीं है। उच्च न्यायालय ने द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द नहीं किया।

33. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 23–ए भी लागू नहीं होता है। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था कि पुनः सुनवाई आवश्यक थी। उच्च न्यायालय फिर से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि डिक्री उलटने योग्य है। संहिता के आदेश 41 नियम 23 के तहत न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

34. आईपीएसी दीक्षित पर रिमांड का आदेश पारित नहीं किया जा सकता अदालत... ..."

9.3 संजय कुमार सिंह (उपरोक्त) के मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 के वकील द्वारा भरोसा किया गया है, इस न्यायालय ने कहा है कि

"7. यह सच है कि सामान्य सिद्धांत यह है कि अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत के रिकॉर्ड से बाहर नहीं जाना चाहिए और अपील में कोई सबूत नहीं लेना चाहिए। हालांकि, एक अपवाद के रूप में, आदेश 41 नियम 27 सीपीसी अपीलीय अदालत को असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य लेने में सक्षम बनाता है। यह भी सच हो सकता है कि अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दे सकता है यदि शर्तें निर्धारित की गई हों। इस नियम में मौजूद पाए जाते हैं और पक्षकार, अधिकार के रूप में, ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने के हकदार नहीं हैं। हालांकि, साथ ही, जहां अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की मांग मामले पर संदेह के बादल को दूर करती है और साक्ष्य का मुकदमे में मुख्य मुद्दे पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण असर होता है और न्याय के हित में स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य बनाता है कि इसे रिकॉर्ड पर अनुमति दी जा सकती है, ऐसे आवेदन की अनुमति दी जा सकती है। यहां तक कि उन परिस्थितियों में से एक जिसमें अतिरिक्त साक्ष्य का उत्पादन किया जाता है अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के तहत विचार किया जाता है कि क्या अपीलीय न्यायालय को अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं ताकि वह निर्णय देने में सक्षम हो या समान प्रकृति के किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए।

8. जैसा कि इस न्यायालय ने ए. एंडिसामी चेट्टियार बनाम में कहा और अभिनिर्धारित किया। [आई. डी. 1] चेट्टियार [(2015) 17 एस. सी. सी. 713], अतिरिक्त साक्ष्य की ग्राह्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि मुद्दे की प्रासंगिकता, या इस तथ्य पर कि क्या आवेदक को पहले चरण में इस तरह के साक्ष्य को प्रस्तुत करने का अवसर मिला था या नहीं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपीलीय न्यायालय को निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए या किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण के लिए प्रस्तुत करने के लिए मांगे गए साक्ष्य की आवश्यकता है या नहीं। यह आगे देखा जाता है कि इसलिए वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या अपीलीय न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री पर निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं। अतिरिक्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करने की मांग की गई।

10. यह तुरंत ध्यान दिया जा सकता है कि आदेश सी.पी.सी. के नियम 33 के संदर्भ में, अपीलीय न्यायालय को कोई भी डिक्री और किसी भी आदेश को पारित करने का अधिकार है जिसे पारित या बनाया जाना चाहिए था; और जिसे किसी मामले में आवश्यक माना जाता है। जबकि उक्त नियम 33 में अपील न्यायालय की सामान्य शक्तियाँ, रिमांड की विशिष्ट शक्तियाँ आदेश एक्सएलआई सीपीसी के नियम 23 और 23–ए में निर्धारित की गई हैं। इसलिए, वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए, उपरोक्त नियम 33 का संदर्भ अप्रासंगिक रहता है। ऐसा कहने के बाद, हम जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि क्या वर्तमान मामले में रिमांड को आदेश 41 सी.पी.सी. के अन्य निर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में उचित ठहराया जा सकता है ?

11.दिनांकित 28.06.2019 के विवादित फैसले की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसके खिलाफ नियमित रूप से पहली अपील पर विचार करते समय भी विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री में, उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले से संबंधित विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को भी स्वीकार नहीं किया है और यह निर्दिष्ट नहीं किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कैसे अस्थिर या अनुचित थे। जैसा कि देखा गया है, विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में झुकने वाली कुछ परिस्थितियों (पैराग्राफ 21 में) और फिर कुछ अन्य परिस्थितियों का वर्णन किया है जो विचाराधीन बिक्री की वास्तविकता (पैराग्राफ 22 में) के पक्ष में हैं और उसके बाद, यह पाया गया है कि उचित बिक्री के लिए आवश्यक साक्ष्य। मुकदमे का निर्धारण

अभिलेख पर नहीं लाया गया था; और यह कि अभिलेख पर साक्ष्य विचाराधीन बिक्री विलेख के पक्ष या विपक्ष में उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपर्याप्त था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भौतिक गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है और विचार पारित करने के संबंध में कोई सबूत नहीं लाया गया है।

11.1 इस संबंध में, विवादित फैसले में जो टिप्पणी की गई है, वह यह है कि उच्च न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ था अभिलेख पर सामग्री का आधार। हालांकि, मामले का तथ्य यह है कि रिकॉर्ड पर एक ही सामग्री के आधार पर, निचली अदालत वास्तव में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची थी कि वादी अपना मामला स्थापित करने में विफल रही थी और इसलिए, मुकदमा खारिज होने योग्य था। जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को बिल्कुल भी संदर्भित नहीं किया है और विवादित निर्णय से इसका पता लगाना मुश्किल है मानो विचारण न्यायालय के उन सभी निष्कर्षों को कायम नहीं रखा जाना था या डिक्री को उलटने की आवश्यकता थी।

11.2 विवादित निर्णय की मुख्य विशेषताओं और उसमें महत्वपूर्ण चूक पर ध्यान देने के बाद, यदि हम अपील न्यायालय को रिमांड का आदेश देने के लिए सशक्त बनाने वाले प्रावधानों का उल्लेख करते हैं, तो वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा रिमांड के लिए कोई औचित्य खोजना मुश्किल है। जैसा कि देखा गया है, आदेश 41 सी.पी.सी. के नियम 23 के संदर्भ में रिमांड का दायरा बेहद सीमित है और यह प्रावधान हैःलागू नहीं किया जा सकता क्योंकि विचाराधीन मुकदमे का निपटान आवश्यकताएं यह हैं कि "अपील में डिक्री को उलट दिया जाता है और पुनः परीक्षण आवश्यक माना जाता है"। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, विवादित निर्णय में कोई कारण उपलब्ध नहीं है कि क्यों और किस परइस आधार पर आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था। जाहिर है, पलटाव ठोस कारणों पर आधारित होना चाहिए और उस मामले के लिए, उन कारणों को स्वीकार करना और उनसे निपटना जो निचली अदालत के साथ प्रचलित थे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में रिमांड को आदेश 41 सी.पी.सी. के नियम 23-ए के संदर्भ में भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

12. वर्तमान मामले के तथ्यों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रकृति पर, संजय कुमार सिंह (उपरोक्त) का कोई भी आवेदन नहीं है क्योंकि किसी भी पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही उच्च न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए या किसी ठोस कारण के लिए कौन सा विशिष्ट साक्ष्य आवश्यक माना गया था। इसके अलावा, यह उच्च न्यायालय के फैसले से प्रकट नहीं होता है यदि वादी-प्रतिवादी संख्या 1 (उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता) ने कभी यह अनुमान लगाया कि निचली अदालत ने उसे कोई सबूत पेश करने की अनुमति नहीं दी थी जिसे पेश करने की मांग की गई थी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या किसी भी पक्ष ने लागू सिद्धांतों के संदर्भ में अतिरिक्त दस्तावेजों या मौखिक साक्ष्य के उत्पादन के लिए कोई मामला बनाया है। इसलिए, उच्च न्यायालय की सामान्य टिप्पणियों को नियम से संबंधित नहीं किया जा सकता है। 27 (1) भी। इस संबंध में, हम नगर निगम, हैदराबाद (ऊपर) में इस न्यायालय की टिप्पणियों को लागू करने के लिए विवश हैं कि रिमांड का वर्तमान आदेश बिना किसी कारण या औचित्य के केवल उच्च न्यायालय के निर्देश पर पारित किया गया है।

13. यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर मुकदमे में, निचली अदालत ने वास्तव में इसके आधार पर अपने निष्कर्ष वापस कर दिए थे अभिलेख पर साक्ष्य। क्या वे निष्कर्ष टिकाऊ हैं या नहीं, यह पूरी तरह से अलग मामला है और उच्च न्यायालय इसकी जांच कर सकता है, लेकिन केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय संभावनाओं की प्रधानता पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका, रिकॉर्ड पर साक्ष्य को अपर्याप्त नहीं माना जा सकता था ताकि निर्णय को शब्दों में न सुनाया जा सके आदेश 41 सी.पी.सी. के नियम 24 का।

14.किसी विशेष साक्ष्य की आवश्यकता के संबंध में, हम इस निष्कर्ष पर गौर कर सकते हैं कि यदि न्यायालय को किसी पक्ष के सीधे नियंत्रण और कब्जे में कोई विशेष साक्ष्य मिलता है जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो उदाहरण में निर्दिष्ट परिणामों जैसे आवश्यक परिणाम होंगे (जी)साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 का पालन हो सकता है लेकिन, केवल इसलिए एक विशेष सबूत जिसे पेश किया जाना चाहिए था लेकिन पेश नहीं किया गया, अपीलीय अदालत मामले को वापस भेजने का नरम तरीका नहीं अपना सकती। हमें यह देखने में जल्दबाजी होगी कि हम मामले की खूबियों पर किसी भी तरह से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। यहां दी गई टिप्पणियाँ केवल यह इंगित करने के लिए हैं कि मुकदमे को नए सिरे से ट्रायल के लिए रिमांड पर लिया गया है र्तमान मामले में किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता।

15. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसका सारांश यह होगा कि वादी के पक्ष में मौजूद कुछ परिस्थितियों और प्रतिवादियों के पक्ष में मौजूद कुछ अन्य परिस्थितियों के बारे में कुछ अस्थायी टिप्पणियों के लिए और फिर, एक अन्य अवलोकन के साथ कि वादी एक महत्वपूर्ण गवाह था, उच्च न्यायालय को कोई निष्कर्ष दर्ज किए बिना मामले को नए सिरे से परीक्षण के लिए भेजने में उचित नहीं ठहराया गया था, यदि वादी को स्वयं की जांच करने या कोई अन्य सबूत पेश करने से रोका गया था और यह भी बताए बिना कि किस आधार पर डिक्री को उलट दिया जा रहा था।

16. तद्नुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। जहां तक 2014 के आरएफए नंबर 247 (2012 के ओएस नंबर 293 से संबंधित) से संबंधित है, आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 28.06.2019 को रद्द कर दिया गया है; और उक्त अपील को कानून के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार के लिए बहाल किया जाता है। पक्ष अपने संबंधित वकील के माध्यम से 20.03.2023 को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस देंगे।

17. परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील की लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अंकित ज्ञान
(सहायकः मयंक बत्रा, एलसीआरए)

अपील की अनुमति दी गई।

Translated and vetted by Kanwaljeet Singh Advocate (Chhattisgarh)